दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री पी० एन०राय, महानिदेशक–सह–महासमादेष्ट, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं को समर्पित ज्ञापन

---

1. विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण राज्य में विभाग अग्निसुरक्षा एवं नई अग्नि नीति पर जागरूकता अभियान चलाएं तथा कार्यशाला एवं विचारगोष्ठी का आयोजन करें ।
2. विभिन्न Industrial Area एवं बड़े प्रतिष्ठानों पर विभाग द्वारा समय–समय पर मॉकड्रील का आयोजन किया जाए ।
3. हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहटा, फतुहा एवंगया के Industrial Area में अग्निशाम सेवाएं के Fire Brigade की व्यवस्था की जाए ।
4. विभाग को फायरफाइटिंग यंत्रों एवं उपकरणों को बेचने वाले प्रतिष्ठानों को अधिकृत कर उसकी सूची Website पर डाल देनी चाहिए ।
5. विभाग को Fire Auditor एवं Inspection Agencies का भी Pannel बनाकर अधिकृतकर Website पर डाल देना चाहिए ।
6. विभाग की ओर से स्थायी रूप से Director Fire Service की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाना चाहिए । Divisional Fire Officer की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिससे प्रधान कार्यालय में कार्य बोझ कम हो सके ।
7. किसी भी प्रतिष्ठान में आग लगने पर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करना पड़ता है तथा Insurance Company भी FIR करने के लिए दबाव बनाता है । आग के द्वारा कितने की हानि हुई वह भी विभाग के पदाधिकारीगण तय करते हैं । चैम्बर का ऐसा मानना है कि नई आग नीति में संबंधित थाना में FIR के बदले विभाग के Fire Officer को पीड़ित सूचना दे तथा हानि की राशि विभाग द्वारा अधिकृत Agencies को अधिकार दिया जाए ।

क्रमशः.........2

8. बिल्डरों को भी अग्निशाम विभाग से NOC लेना पड़ता है । चैम्बर का मत है कि कोई भी नक्शा विभाग में On line जमा करने की व्यवस्था की जाए जो नगर निगम से Linked रहे । विभाग को अगर कोई बदलाव करना है तो वह Objection भी Online हो तथा तय समय सीमा के अन्तर्गत NOC की व्यवस्था किया जाए ।

9. पुराने बिल्डिंग में आग लगने पर संबंधित बिल्डर के बदले मेनटेनेंस कमिटी को जवाबदेह बनाया जाए ।

10. समय–समय पर पुराने बिल्डिंग का Fire Audit विभाग द्वारा बनाये गये Pannel या अधिकृत व्यक्ति से कराये जाने की व्यवस्था की जाए ।

11. बिहार अग्निशाम सेवा का अपना प्रशिक्षण अकादमी होना चाहिए । जिसमें बिहार अग्निशाम सेवा के पदाधिकारीगण एवं कर्मियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ उचित शुल्क लेकर आम लोगों एवं संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

12. राज्य के कमिशनरी हेडक्वार्टर में सभी प्रकृति के फायरब्रिगेड की व्यवस्था की जाए । जैसे साधारण आग को बुझाने के लिए कूलिंगवाटर वाला फायरब्रिगेड, तरल पदार्थों पर लगी आग को बुझाने के लिए मैकेनिकल फोमवाला फायरब्रिगेड, इलेक्ट्रिकल आग का बुझाने के लिए सीओटू फायर एग्जीस्टिंगर तथा धातु में लगी आग को बुझाने के लिए ड्राय केमिकलवाला फायरब्रिगेड की व्यवस्था हो । बहुमंजली इमारत के लिए अत्याधुनिक अग्निशमण उपकरण खरीदना चाहिए ।

****